



जालौन पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1. असगर उर्फ अगस पुत्र मूसा कुरैशी 2. कल्लू कुरैशी पुत्र गनी कुरैशी 3. पप्पू खान पुत्र नूर हसन 4. मुस्ताक अहमद पुत्र वसीर निवासीगण कस्बा व थाना कोंच जनपद जालौन के विरुद्ध कोत० कोंच में मु०अ०सं० 124/2022 (वाद संख्या – 169/2022) धारा 3/5/8 गोवध निवारण एक्ट में अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 18.04.2024 को मा० न्यायालय एडीजे/एफटीसी कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा 04 अभियुक्तगणों को दोषी पाते हुये 05-05 वर्ष का कारावास एवं 03-03 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अनूप कुमार उपाध्याय
अभियोजक



कोर्ट पैरोकार आरक्षी हृदेश कुमार

@jalaunpolice

jalaunpolice

JalaunPolice